कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव

विज्ञप्ति

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी-02 पद, चौकीदार-02 पद व सफाईकर्मी 01 पद) कुल 04 पदों नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/-, 5000/-, 2000/- रूपए पर अस्थायी रूप से दिनांक 28.08.2019 तक के लिए नियुक्ति जरिए आउटसोर्सिंग की जानी हैं| तद हेतु पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं| आवेदन कार्यालय- जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उन्नाव में दिनांक: 15.09.2018 तक स्वीकार किये जायेंगे| उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु आवश्यक योग्यता, नियम व शर्तें जनपद न्यायालय उन्नाव की वेबसाइट www.ecourts.gov.in/unnao से डाउनलोड किया जा सकता है|

दिनांक : 30.08.2018

30/8/18

जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद न्यायालय, उन्नाव|

नियम व शर्तें:-

1. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण (चपरासी-02 पद, चौकीदार-01 पद व सफाईकर्मी 01 पद) कुल 04 पदों नियत मासिक मानदेय क्रमशः 7000/-, 5000/-, 2000/- रूपए पर अस्थायी रूप से दिनांक 28.08.2019 तक के लिए आउटसोर्सिंग से नियुक्त की जाएगी| नियुक्त कर्मचारीगण का मानदेय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव द्वारा सेवा प्रदाता के बैंक खाते में ई-पेमेंट/ चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा और सम्बंधित कर्मचारीगण उक्त सेवा प्रदाता से अपने मानदेय का भुगतान प्राप्त करेंगे, सम्बंधित कर्मचारीगण एवं प्राधिकरण के मध्य इस सम्बन्ध में कोई सव्यवहार अथवा पत्राचार नहीं हो सकेगा| नियत मानदेय के अतिरिक्त कोई महंगाई भत्ता इत्यादि देय नहीं होगा|

   उपरोक्त अस्थायी पदों की नियुक्ति हेतु निम्नलिखित न्यूनतम योगता होगी :-

क्र० सं०	पद का नाम	योग्यता
01.	चपरासी	कक्षा आठवां (चार पहिया वाहन चालक को वरीयता)
02.	चौकीदार	कक्षा पांच
03.	सफाईकर्मी	शिक्षित

   उपरोक्त के अतिरिक्त अच्छे आचरण एवं चाल-चलन वाला, आज्ञाकारी व विनम्र स्वभाव होना अनिवार्य है|

2. सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गए कर्मचारी का कोई अपराधिक इतिहास व कोई भी अनैतिक आचरण का कोई आरोप नहीं होना चाहिए|
3. आवेदन निःशुल्क है|
4. आवेदन पत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जनपद न्यायालय उन्नाव में दिनांक: 15.09.2018 को सायं 4.00 बजे तक जमा किये जा सकेंगे|
5. सेवा प्रदाता स्वयं के व्यय पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जनपद न्यायालय उन्नाव से 100/- रु० के स्टाम्प पेपर पर उपरोक्त आशय का एक इकरारनामा निष्पादित करेगा, जिसमे नियुक्त व्यक्ति का आज्ञाकारी, विनम्र व विहित योग्यताधारक होने की जिम्मेदारी भी सेवा प्रदाता को लेनी होगी|
6. सेवा प्रदाता के संतोषजनक न पाए जाने पर किसी भी समय व स्तर पर समाप्त कर दी जाएगी|

दिनांक-30.08.2018

30/8/18

जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
जनपद न्यायालय, उन्नाव|